

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 342 / 2024
अभिषेक बनाम संदीप

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संक्षिप्त नोट
	राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2025 बैंच संख्या— III अध्यक्ष – श्री विकास मारग सदस्य – सुश्री कला आर्य —: आदेश :- दिनांक 14.03.2026 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या III में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य पूर्व समझाईश के कारण परिवादी सुर्यप्रकाश एवं अभियुक्त महेश की ओर से दिनांक 07.03.2026 को लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा पेश कर एवार्ड बनाने तथा प्रकरण का निस्तारण माफिक राजीनामा उक्त शर्तो के आधार पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। परिवादी सुर्यप्रकाश एवं अभियुक्त महेश वैरागी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.03.2026 को तस्दीक किया गया है। प्रकरण में राजीनामा की शर्तो अनुसार अवार्ड (पंचाट) बनाया जाकर दोनो पक्षो को सुनाया व समझाया गया तो दोनो ने इसे सही होना स्वीकार किया। प्रकरण में मुर्तिब अवार्ड (पंचाट) राजीनामा का भाग समझा जावेगा। परिवादी व अभियुक्त की ओर से आपसी राजीनामा होने से प्रकरण में अभियुक्त अभिषेक पाटीदार को धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अब कोई कार्यवाही शेष नही रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सांख्यिकी दृष्टि से पत्रावली आज सी.आई.एस. में फैसल कर आदेश अपलोड किया जावे। आदेश आज दिनांक 21.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत	